[2018] 14 एस. सी. आर 1161

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम.

वसीफ हैदर ई. टी. सी.

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 1702-1706/2014)

10 दिसंबर, 2018

[एन. वी. रमना और मोहन एम. शांतनागौदर, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 धराये 303 और 307 सहपठित 149,148-रिहा किए जाने के खिलाफ अपील -पीडब्लू-2-पुलिस अधिकारी को पता चला कि लगभग दंगाइयों की भीड़ एक मंदिर में उपद्रव और विनाश कर रही थी-पीडब्लू-2 पुलिस बल के साथ और एक वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल की ओर बढ़े-दंगाइयों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे वरिष्ठ अधिकारी घायल हो गए, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया-प्रतिवादी-आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया-निचली अदालत ने प्रत्यर्थीगण को दोषी ठहराया-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को रद्द कर दिया- अवधारणा - बरी किए जाने के खिलाफ अपील में, अपीलीय अदालत केवल वहीं हस्तक्षेप करेगी जहां तथ्य और कानून की विकृति मौजूद हो-वर्तमान मामला कई जांच और खामियों से भरा हुआ है जो मामले की जड़ तक जाता है-प्रत्यर्थीगणओं की विशिष्ट पहचान, दंगाइयों के एक समूह से, पूर्णता के साथ; किसी भी विशिष्ट निशान का उल्लेख किए बिना घटना स्थल से गवाहों की दूरी को देखते हुए अत्यधिक असंभव लगता है-परीक्षण पहचान परेड (टी. आई. पी.) समय पर आयोजित की जानी चाहिए, यदि नहीं, तो देरी को समझाना होगा-हालांकि, वर्तमान मामले में, न केवल

टी. आई. पी. के संचालन में देरी हुई थी, बल्कि इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था-इससे इसकी वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा होता है -307, आई. पी. सी., अभियोजन पक्ष साक्ष्य के माध्यम से आरोपों को साबित करने में विफल रहा-विचारण न्यायालय ने उपरोक्त अपराध के लिए प्रत्यर्थीगणओं को दोषी ठहराने में गलती की, बिना किसी सबूत के-अभियोजन पक्ष प्रत्यर्थीगणओं की दोषसिद्धि के बारे में संदेह के बादल को दूर करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को जोड़ने में विफल रहा-संदेह, हालांकि गंभीर सबूत की जगह नहीं ले सकता है-अनुसंधान संबंधी खामियों ने प्रत्यर्थीगणओं के पक्ष में निर्दोषता की धारणा को मजबूत किया है-दोषपूर्ण अनुसंधान से उत्पन्न संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में उपार्जित होता है-उच्च न्यायालय के फैसले में कोई विकृति नहीं - शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराधों के लिए बरी होना भी शस्त्र अधिनियम, 1959 में हस्तक्षेप नहीं करता है। 25, 27-विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908।4, 15-दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1932।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

अवधारित किया --1. 1 वर्तमान मामला कई जांच संबंधी खामियों और खामियों से भरा हुआ है जो मामले की जड़ तक जाता है। *सबसे पहले*, टी. आई. पी. में भाग लेने वाले सात चश्मदीद गवाहों में से पांच ने बिना कोई गलती किए आरोपी-प्रत्यर्थियों की पहचान की।अभियुक्त नं.3 के बड़े फैले हुए दांत हैं, आरोपी नं 4 पोलियो से पीड़ित था, इसलिए उसे स्थायी शारीरिक अक्षमता थी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस तथ्य का एफ. आई. आर. या गवाह के बयानों में कभी उल्लेख नहीं किया गया था।घटना स्थल से गवाहों की दूरी को देखते हुए, 200-300 दंगाइयों के एक समूह से चार अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की विशिष्ट पहचान, 100% पूर्णता के साथ; बिना किसी विशिष्ट निशान का उल्लेख किए, अत्यधिक असंभव प्रतीत होती है। इसके अलावा, आरोपी नं. का टी. आई.

पी. आयोजित करने में 55 दिनों की अत्यधिक देरी हुई। 1 और 2। हालांकि, आरोपी की संलिप्तता नं 3 और 4 को 03.08.2001 पर ही प्रकाश में लाया गया था, अभियोजन पक्ष ने 6 सप्ताह तक उन्हें गिरफ्तार करने या पूछताछ करने का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन उपरोक्त अत्यधिक देरी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

1.2 इसके अलावा, यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि आरोपी की पहचान को छुपाया गया था।टी. आई. पी. समय पर आयोजित की जानी चाहिए, यदि नहीं, तो देरी की व्याख्या की जानी चाहिए और इस तरह की देरी से आरोपी का खुलासा नहीं होना चाहिए। हालाँकि, वर्तमान मामले में, न केवल टी. आई. पी. के संचालन में देरी हुई, बल्कि अभियोजन पक्ष की ओर से इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। इससे टी. आई. पी. की वास्तविकता के बारे में काफी संदेह पैदा होता है।

1.3 *दूसरा,* यह आश्चर्य की बात है कि यद्यपि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मृतक के शरीर में केवल दो घाव थे, एक प्रवेश और दूसरा निकास घाव था, फिर भी कथित तौर पर मृतक की राख से एक गोली अभी भी बरामद हुई थी। मृतक की राख से गोली की बरामदगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ अपरिवर्तनीय है जो कथित तौर पर एक निकास घाव बताता है, जिसका अर्थ है कि गोली पहले ही शरीर से निकल चुकी थी। उपरोक्त तथ्य पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट और एफ. एस. एल. रिपोर्ट दोनों पर संदेह पैदा करता है क्योंकि वे एक दूसरे के साथ असंगत हैं। तीसरा, अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि 20 दिन बाद मृतक की राख से कथित रूप से बरामद गोली वास्तव में प्रत्यर्थी नं.1 यहां तक कि पिस्तौल की बरामदगी भी संदिग्ध है।

1.4 *चौथा,* जहां तक घटना स्थल का संबंध है, अभियोजन पक्ष सटीकता के साथ इसका पता लगाने में विफल रहा। *पाँचवाँ,* अभियोजन पक्ष मृतक के आदेश की जांच करने में विफल रहा, जो उसी घटना में घायल हो गया था और उसे गोली लगी थी। *छठा,*

अभियोजन पक्ष भी कोई स्वतंत्र गवाह पेश करने में विफल रहा है। भले ही आधिकारिक गवाहों से दिए गए साक्ष्य पर अविश्वास करना गलत है, लेकिन विवेक की मांग है कि उनके साक्ष्य का कड़ाई से जांच की वेदी पर परीक्षण किया जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। *अंत में*, यह आश्चर्य की बात है कि हालांकि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के तहत आरोप तय किए गए हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष सबूतों के माध्यम से आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। निचली अदालत ने इसे साबित करने के लिए बिना किसी सबूत के, उपरोक्त अपराध के लिए प्रत्यर्थीगण को दोषी ठहराते हुए गलती की है।

1.5 अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को जोड़ने में विफल रहा है ताकि प्रत्यर्थीगणओं की दोषपूर्णता के बारे में संदेह के बादल को दूर किया जा सके। एक संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है, यानी "*हो सकता है*" और "*होना ही चाहिए*" के बीच एक लंबी दूरी है, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए पार किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, उपरोक्त जांच संबंधी खामियों के संचयी प्रभाव ने अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के पक्ष में निर्दोषता की धारणा को मजबूत किया है। ऐसे मामलों में, दोषपूर्ण अनुसंधान से उत्पन्न होने वाले संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में होता है। उच्च न्यायालय के फैसले में कोई विकृति नहीं है। शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए बरी होने के समवर्ती आदेश में भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

बन्नारेड्डी और ओआरएस. वी. कर्नाटक राज्य और अन्य **(2018) 5 एस. सी. सी. 790;** *रवीन्द्र कुमार पाल @दारा सिंह बनाम भारत गणराज्य* **(2011) 2 एससीसी 490:[2011] 1 एस. सी. आर. 929;** *मुल्ला बनाम*

उत्तर प्रदेश राज्य **(2010) 3 एस. सी. सी. 508**; *कैलाश गौर और अन्य वी असम राज्य* **(2012) 2 एससीसी 34-पर भरोसा किया।**

नरेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2004) 10 एस. सी. सी. 699 - निर्दिष्ट किया गया

मामला कानून संदर्भ

(2018) 5 एससीसी 790	**उस पर भरोसा करें**	**पैरा 12**
[2011] 1 एससीआर 929	**उस पर भरोसा करें**	**पैरा 12**
(2010) 3 एससीसी 508	**उस पर भरोसा करें**	**पैरा 15**
(2004) 10 एस. सी. सी. 699	**उस पर भरोसा करें**	**पैरा 22**
(2012) 2 एस. सी. सी. 34	**उस पर भरोसा करें**	**पैरा 23**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः 2014 की आपराधिक अपील संख्या 1702-1706।

2004 की आपराधिक अपील सं. 1419, 1430, 1518, 898 और 2005 की सरकारी अपील सं. 5270 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

दिनेश के. गोस्वामी, अंकुर प्रकाश, के. लुइकांग माइकल, सुशील तोमर, आशुतोष के. शर्मा, गर्वेश काबरा, टी. महिपाल, सुश्री कामिनी जैसवाल, मोहम्मद इरशाद हनीफ, आरिफ अली खान, अदील सिद्दीकी, रिजवान अहमद, शेख मौलाली बाशा, आमिर नसीम, नईम इलियास, राम मिश्रा, जतिंदरपाल सिंह, सिद्धार्थ दवे, फारुख रशीद, अबू बकर सब्बाक, सुश्री जेमतीबेन एओ, एड. उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन. वी. रमना, जे.

1. विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2004 की आपराधिक अपील संख्या 1419,1430,1518 और 898 में पारित सामान्य विवादित निर्णय से उत्पन्न होती हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कानपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 164/2002 में भारतीय दण्ड संहिता के फैसले को उलट दिया है। जबकि सरकारी अपील सं. में उच्च न्यायालय। अपीलार्थी-राज्य द्वारा 2005 के 5270 ने अभियुक्त नं.1-प्रत्यर्थी (वसीफ हैदर) शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 और 15 के तहत अपराधों के लिए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कानपुर द्वारा पारित दिनांक 1 के फैसले की पुष्टि करते हुए आरोपी नं.1-2002 के सत्र परीक्षण संख्या 143 और 144 में प्रतिवादी (वसीफ हैदर)।

2. अभियोजन पक्ष की कहानी से सामने आए संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि जब वादी (पीडब्लू. 2-एस. ओ., पी. एस. मूलगंज, कानपुर) अन्य पुलिस कर्मियों के साथ परेड क्रॉसिंग पर ड्यूटी पर था, तो उसे पता चला कि लगभग 200-300 दंगाइयों की भीड़ चौबे गोला मंदिर में उपद्रव और विनाश कर रही थी। तुरंत, वादी पुलिस बल और ए. डी. एम. (वित्त और राजस्व)-श्री चंद्र प्रकाश पाठक (इसके बाद "मृतक" के रूप में संदर्भित), और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी ["पी. ए. सी".] का आधा हिस्सा घटना स्थल की ओर बढ़ा। मान लीजिए, जब मृतक पुलिस कर्मियों के साथ नई सारक पर सुनेहरी मस्जिद से लगभग 1 किमी की दूरी पर थे, तो दंगाइयों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप मृतक और उनके आज्ञाकारी रामचंद्र घायल हो गए। कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, पुलिस को अपने बचाव में गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब पुलिस दल मस्जिद पहुंचा तो दंगाई पहले ही भाग चुके थे।इसके बाद, जब पुलिस दल चौबे गोला मंदिर पहुंचा, जहां दंगाइयों ने पहले ही कुछ घरों को लूट लिया था और

आगजनी भी कर दी थी। इस बीच, पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि मृतक ने अस्पताल में गोली लगने से दम तोड़ दिया है। अंत में, 2001 का एफ. आई. आर., केस क्राइम नंबर 7 अज्ञात दंगाइयों के खिलाफ 8.05P.M पर 16.03.2001 पर दर्ज किया गया।

3. उसी रात, अनुसंधान की कार्यवाही करने के बाद, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और अनुसंधान शुरू कर दी गई। अनुसंधान अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद घटना स्थल का निरीक्षण किया और स्थल योजना अतिरिक्त तैयार की। केए-6। मृतक की राख से बरामद एक गोली को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था।

4. 02.08.2001 अभियुक्त संख्या पर 2-प्रतिवादी (मुमताज उर्फ मौलाना) को दिल्ली पुलिस कानपुर ले आई थी। 04.08.2001 पर, अभियुक्त नं. 1-प्रतिवादी (वसीफ हैदर) को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त नं. 3-प्रत्यर्थी (हाजी अतीक) और आरोपी नं। 4-उत्तरदाता (सफ़त रसूल) उन्हें क्रमशः 17.09.2001 और 18.09.2001 पर गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जिला जेल, कानपुर में 27.09.2001 पर परीक्षण पहचान परेड (इसके बाद "टी. आई. पी". के रूप में संदर्भित) आयोजित की गई। अनुसंधान पूरा होने के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।यह ध्यान देने योग्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयानों में उन्होंने दावा किया कि टी. आई. पी. के संचालन में अत्यधिक देरी हुई, क्योंकि इस समय अवधि का उपयोग अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा उन्हें उनके घरों या कार्यस्थलों पर देखने के लिए किया गया था ताकि बाद में पहचान के लिए उन्हें सावधानीपूर्वक चिह्नित किया जा सके। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि उन्हें घूंघट (बापर्दा) में छिपा कर नहीं रखा गया था। अभियुक्त-प्रत्यर्थीगण ने आगे कहा है कि टी.

आई. पी. से पहले, पुलिस ने उनकी तस्वीरें ली थीं और इसे अन्य गवाहों को दिखाया था। इससे टी. आई. पी. की वास्तविकता के बारे में काफी संदेह पैदा होता है। इसके अलावा, अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि जब पुलिस असली दोषियों का पता लगाने में विफल रही तो उन्हें मामले में गलत तरीके से शामिल किया गया। अभियुक्त प्रत्यर्थीगण ने यह भी कहा है कि, हालाँकि उनकी स्पष्ट पृष्ठभूमि थी, लेकिन उन्हें अपराध में गलत तरीके से फंसाया गया था।

6. दिनांक 22.01.2004 के आदेश द्वारा, निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के संस्करण पर भरोसा करते हुए, बचाव पक्ष की कहानी को खारिज कर दिया और आरोपी व्यक्तियों को निम्नानुसार दोषी ठहराया,

<table>
<tr><th>अभियुक्त</th><th colspan="2">आरोप की धराये</th><th>सजाएँ</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1) वासिफ़ हैदर
2) मुमताज़ उर्फ मौलाना
3) हाजी आतिक
4) सफ़त रसूल</td><td colspan="2">धारा302/149 द०प्र०स०</td><td>आजीवन कारावास</td></tr>
<tr><td colspan="2">धारा307/149 द०प्र०स०</td><td>5 सालसश्रम कारावास</td></tr>
<tr><td colspan="2">धारा 148 द०प्र०स०</td><td>3 सालसश्रम कारावास</td></tr>
<tr><td colspan="2">धारा 7 क्रिमिनल लव अमेंडमेंट एक्ट</td><td>3 माह सश्रम कारावास</td></tr>
<tr><td colspan="3">सभी अभ्युक्तों को द०प्र०स० की धाराएँ और 153 अ- मे रिहा किया गया</td></tr>
<tr><td>वसिफ़ हैदर</td><td colspan="3">आर्म्स एक्ट 1959 की धाराएँ 25 और 27 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धाराएँ 4 और 15 मे रिहा किया गया ।</td></tr>
</table>

7. दोषसिद्धि और सजा के उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में अपील की। साक्ष्य के विश्लेषण पर उच्च न्यायालय ने पाया कि न केवल अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में विभिन्न विरोधाभास मौजूद हैं, बल्कि इसकी पुष्टि का भी अभाव है। बरी करने का आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय ने

कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला अनुसंधान में खामियों से भरा हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण रूप से आरोपी की पहचान अत्यधिक संदिग्ध थी और टी. आई. पी. को "विश्वास करने के लिए बहुत अच्छा" माना गया था। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के माध्यम से अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को बरी कर दिया और दोषसिद्धि के उपरोक्त आदेश को दरकिनार कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

8. उच्च न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को बरी करने के विवादित आदेश से व्यथित उत्तर प्रदेश राज्य ने इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

9. अपीलार्थी-राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार गोस्वामी ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हुए कहा कि अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की गिरफ्तारी के अनुसार उचित सावधानी बरतने और प्रक्रिया का पालन करने के बाद उनकी पहचान ठीक से की गई थी। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के गवाहों ने पहचान परेड में और अदालत में भी आरोपी व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से पहचान की थी। टी. आई. पी. के संचालन में देरी के मुद्दे पर, अधिवक्ता ने यह भी जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि टी. आई. पी. के संचालन में कोई अत्यधिक देरी नहीं हुई, जैसा कि अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के अधिवक्ताों द्वारा प्रचार किया गया था। उच्च न्यायालय ने टी. आई. पी. पर भरोसा न करके एक गंभीर गलती की है क्योंकि इसके परिणामों को दूषित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की दोषसिद्धि को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, इसलिए सत्र न्यायाधीश ने उनके खिलाफ दोषसिद्धि का आदेश सही ढंग से पारित किया था और इसलिए विवादित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था।

10. दूसरी ओर, अभियुक्त-प्रत्यर्थी नं. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री कामिनी जयसवाल। 1, 3 और 4 ने उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की पहचान पर निर्भर करती है, जिसकी वास्तविकता अपने आप में संदिग्ध है। आगे यह तर्क दिया गया कि जब गवाह घटना स्थल से बहुत दूर थे, तो उनकी पहचान करना प्रशंसनीय नहीं था। विशेष रूप से अभियुक्त-प्रत्यर्थी, वह भी किसी विशेष हुलिया की अनुपस्थिति में या 200-300 दंगाइयों की भीड़ से अलग निशान। इसके अलावा, टी. आई. पी. के संचालन में अत्यधिक देरी हुई जो अभियोजन पक्ष के लिए घातक थी।

11. इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता, श्री सिद्धार्थ दवे, अभियुक्त-प्रतिवादी नं. 2 ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-प्रतिवादी सं 2 को केवल सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के कारण मामले में घसीटा गया है जिसकी पुष्टि नहीं की गई है, और कोई अन्य आपत्तिजनक सबूत रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है।

12. पक्षों के लिए विद्वानों की सलाह सुनी। शुरुआत में, हम यह कहना चाहेंगे कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में, अपीलीय अदालत केवल तभी हस्तक्षेप करेगी जब तथ्य और कानून की विकृति मौजूद हो [देखें **बन्नारेड्डी और ओआरएस. वी. कर्नाटक राज्य और अन्य (2018) 5 एस. सी. सी.** 790]। इसके अलावा, बरी किए गए अभियुक्त के खिलाफ निर्दोष होने की धारणा को उसके पक्ष में निर्णय देकर और मजबूत किया जाता है [देखें **रवींद्र कुमार पाल @दारा सिंह बनाम भारत गणराज्य**, (2011) 2 एस. सी. सी. 490 पैरा 94]।

13. हम उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के उपरोक्त आदेश से सहमत हैं, क्योंकि वर्तमान मामला कई जांच संबंधी खामियों और खामियों से भरा हुआ है जो मामले की जड़ तक जाता है। हम उसी को क्रमिक रूप से संबोधित करेंगे।

14. *सबसे पहले*, यह ध्यान देने योग्य है कि टी. आई. पी. में भाग लेने वाले सात चश्मदीद गवाहों में से पांच ने बिना कोई गलती किए आरोपी की पहचान की। जैसा कि अभियुक्त नं. 3-प्रतिवादी, हाजी अतीक के बड़े दांत हैं, आरोपी नं 4-प्रतिवादी सफ़त रसूल पोलियो से पीड़ित था इसलिए उसे स्थायी शारीरिक अक्षमता थी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस तथ्य का एफ. आई. आर. या गवाह के बयानों में कभी उल्लेख नहीं किया गया था। घटना स्थल से गवाहों की दूरी को देखते हुए, चारों अभियुक्तों-प्रत्यर्थीगणओं की विशिष्ट पहचान, 200-300 दंगाइयों के एक समूह से, 100% पूर्णता के साथ; बिना किसी विशिष्ट निशान का उल्लेख किए, अत्यधिक असंभव प्रतीत होती है। इसके अलावा, आरोपी नं. का टी. आई. पी. आयोजित करने में 55 दिनों की अत्यधिक देरी हुई। 1 और 2 हालांकि, आरोपी की संलिप्तता नं।3 और 4 को 03.08.2001 पर ही प्रकाश में लाया गया था, अभियोजन पक्ष ने 6 सप्ताह तक उन्हें गिरफ्तार करने या पूछताछ करने का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन उपरोक्त अत्यधिक देरी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

15. इसके अलावा, इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दिया गया है कि आरोपी की पहचान को छुपाया गया था। इसके विपरीत, डी. डब्ल्यू. 3, मोहम्मद पुलिस कार्यालय में रिकॉर्ड कीपर शमीम सिद्दीकी ने कहा कि सामान्य डायरी में यह उल्लेख नहीं है कि आरोपी नं 2-प्रत्यर्थी मुमताज उर्फ मौलाना को बापर्दा रखा गया था। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को उनके घरों या कार्यस्थलों पर देखने के लिए उपरोक्त अत्यधिक देरी का उपयोग किया गया था ताकि बाद में पहचान के लिए उन्हें सावधानीपूर्वक चिह्नित किया जा सके। इसके अलावा, आरोपी नं.1-प्रतिवादी वसीफ हैदर ने धारा 313 द॰ प्र॰ स॰ के तहत अपने बयान में इस हद तक कहा कि टी. आई. पी. से पहले उन्हें गवाहों को दिखाया गया था और उनकी तस्वीरें और वीडियो टेप तैयार किए गए थे। **मुल्ला बनाम यू. पी. राज्य**, (2010) 3 एस. सी. सी. 508

पैरा 55 में, इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक टी. आई. पी. समय पर आयोजित की जानी चाहिए, यदि नहीं, तो देरी की व्याख्या की जानी चाहिए और इस तरह की देरी से अभियुक्त का खुलासा नहीं होना चाहिए।हालाँकि, वर्तमान माले में, न केवल टी. आई. पी. के संचालन में देरी हुई, बल्कि अभियोजन पक्ष की ओर से इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। इससे टी. आई. पी. की वास्तविकता के बारे में काफी संदेह पैदा होता है।

16. *दूसरा,* यह आश्चर्य की बात है कि हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मृतक के शरीर में केवल दो घाव थे, एक प्रवेश और दूसरा निकास घाव था, कथित तौर पर मृतक की राख से एक गोली अभी भी बरामद हुई थी। एफ. एस. एल. की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह गोली जली हुई और फटी हुई थी। मृतक की राख से गोली की यह बरामदगी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ अपरिवर्तनीय है जिसमें कथित तौर पर एक निकास घाव बताया गया है, जिसका अर्थ है कि गोली पहले ही शरीर से निकल चुकी थी। उपरोक्त तथ्य पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट और एफ. एस. एल. रिपोर्ट दोनों पर संदेह पैदा करता है क्योंकि वे एक दूसरे के साथ असंगत हैं।

17. *तीसरा,* अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि 20 दिन बाद मृतक की राख से कथित रूप से बरामद गोली वास्तव में आरोपी-प्रतिवादी वसीफ हैदर से बरामद पिस्तौल से चलाई गई थी। यहां तक कि पिस्तौल की बरामदगी भी संदिग्ध है। जबकि, अभियोजन पक्ष के मामले से इसका पता चलता है। अभियुक्त-प्रतिवादी वसीफ हैदर के कब्जे से 380 बोर का पिस्तौल बरामद किया गया था, इसके विपरीत, राजेंद्र धर द्विवेदी के सबूत से पता चलता है कि वह एक था। उसकी गिरफ्तारी के बाद 320 बोर की पिस्तौल बरामद की गई। प्रतिबंध आदेश में अतिरिक्त विरोधाभास देखा जा सकता है

जिसमें दो पिस्तौल हैं। अभियुक्त-प्रतिवादी वसीफ हैदर के कब्जे से 380 बोर बरामद किए गए।

18. *चौथा*, घटना स्थल के संबंध में, अभियोजन पक्ष सटीकता के साथ इसका पता लगाने में विफल रहा। जबकि एफ. आई. आर. सुनेहरी मस्जिद, पी. डब्ल्यू. 2 के सामने होने वाली घटना के स्थान का खुलासा करता है, वादी ने बाद में अपने पहले के बयान में सुधार किया और कहा कि, घटना वास्तव में नूरानी मस्जिद में हुई थी। इसके विपरीत, दोनों स्थल योजनाएँ घटना स्थल को नूरानी मस्जिद दिखाती हैं।

19. *पाँचवाँ*, अभियोजन पक्ष मृतक के अर्दली रामचंद्र से पूछताछ करने में विफल रहा, जो उसी घटना में घायल हो गया था और गोली लगने से घायल हो गया था। अभियोजन पक्ष उपरोक्त पीड़ित की चोट रिपोर्ट को भी साबित करने में असमर्थ था।इस तरह की विफलता अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है क्योंकि घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति संदेह से परे है। यह रिकॉर्ड में रखा गया है कि राम-चंद्र नियमित रूप से मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने के बावजूद अभियोजन पक्ष द्वारा उनसे पूछताछ नहीं की गई थी।

20. *छठा*, अभियोजन पक्ष भी कोई स्वतंत्र गवाह पेश करने में विफल रहा है। भले ही आधिकारिक गवाहों से दिए गए साक्ष्य पर अविश्वास करना गलत है, लेकिन विवेक की मांग है कि उनके साक्ष्य को कड़ी जांच की वेदी पर परीक्षण करने की आवश्यकता है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं।

21. *अंत में*, यह आश्चर्य की बात है कि हालांकि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के तहत आरोप तय किए गए हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष सबूतों के माध्यम से आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निचली

अदालतें इस पर ध्यान देने में विफल रही हैं। निचली अदालत ने इसे साबित करने के लिए बिना किसी सबूत के, उपरोक्त अपराध के लिए प्रत्यर्थीगण को दोषी ठहराते हुए गलती की है।

22. हमारे समक्ष तत्काल की गई अपीलों में, अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को जोड़ने में विफल रहा है ताकि अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की दोषसिद्धि के बारे में संदेह के बादल को दूर किया जा सके।यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि कोई संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है, यानी "हो सकता है" और "होना ही चाहिए" के बीच एक लंबी दूरी है, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को उचित से परे साबित करने के लिए पार किया जाना चाहिए। संदेह [**नरेंद्र सिंह बनाम एमपी राज्य**, (2004) 10 एससीसी 699 देखें]।

23. **कैलाश गौर और ओआरएस बनाम में यह न्यायालय असम राज्य,** (2012) 2 एस. सी. सी. 34 ने माना है कि,

> **"44.** ***अभियोजन पक्ष को, यह स्वयंसिद्ध है, अभियुक्त के खिलाफ अपने मामले को प्रमुख साक्ष्य द्वारा स्थापित करना चाहिए जिसे ए द्वारा स्वीकार किया जाता है। मानकों जो आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए ज्ञात हैं, भले ही अपराध सांप्रदायिक अशांति के दौरान किया गया हो या अन्यथा।*** संक्षेप में, केवल वहाँ कर सकते हैं जब आपराधिक मामलों में विचारण और निर्णय की बात आती है तो नियमों और मानकों का एक समूह होना चाहिए जब तक कि क़ानून किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग के लिए विशेष रूप से लागू कुछ भी प्रदान नहीं करता है।...."
>
> **(बल दिया गया)**

24. वर्तमान मामले में, उपरोक्त जांच संबंधी खामियों के संचयी प्रभाव ने अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के पक्ष में निर्दोषता की धारणा को मजबूत किया है। ऐसे मामलों में, दोषपूर्ण अनुसंधान से उत्पन्न होने वाले संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में होता है।

25. यद्यपि हम अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के खिलाफ कथित अपराध की गंभीरता और एक वरिष्ठ अधिकारी के अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाने में अपनी जान गंवाने के दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य को स्वीकार करते हैं, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अनुसंधान में खामियों ने अभियोजन पक्ष को दोषी साबित करने में अक्षम कर दिया है। अभियुक्त से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह एक अप्रभावी अभियोजन के हाथों अपनी बेगुनाही छोड़ दे, जो जांच संबंधी कमियों से भरा हुआ है। इस तरह की अक्षम अनुसंधान से उत्पन्न होने वाले संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

26. हमारी राय में, उच्च न्यायालय के फैसले में कोई विकृति नहीं है।इसके अलावा, ठोस कारणों के अभाव में, यह न्यायालय बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली इन अपीलों पर विचार करने का इच्छुक नहीं है।

27. हम शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए बरी होने के समवर्ती आदेश में भी हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जो वर्तमान में आपराधिक अपील सं। 2014 का 1706।

28. तदनुसार अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

अपील याचिकाएं खारिज कर दी गयी।

शरंग धर उपाध्याय